संख्या-25/2021/1103जेएल/22-3-2021-100(12)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 जून, 2021

विषय- जिला कारागार गाजियाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अमित कसाना उर्फ सचिन पुत्र सतवीर कसाना को प्रशासनिक आधार पर दूरस्थ कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-23/2021/1031जेएल/22-3-2021-100(12)/2021, दिनांक 18 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अमित कसाना उर्फ सचिन पुत्र सतवीर कसाना को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, गोरखपुर में स्थानांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके पत्र संख्या-14565/सामा-1(4) /62/बंदी स्था0 (जि0का0 गाजियाबाद) /2021, दिनांक 21-06-2021 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या-23/2021/1031जेएल/22-3-2021-100(12)/2021, दिनांक 18 जून, 2021 को निरस्त करते हुए जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अमित कसाना उर्फ सचिन पुत्र सतवीर कसाना को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, लखनऊ में स्थानांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 25 /2021/1103जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद/गोरखपुर/लखनऊ।
4- पुलिस आयुक्त, लखनऊ ।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद/गोरखपुर।
6- अधीक्षक, जिला कारागार,गोरखपुर/लखनऊ ।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार गाजियाबाद से जिला कारागार लखनऊ में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in